न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर

बइजलास – श्री अशोक कुमार चौधरी आर.ए.एस.
मुकदमा नं. 57/2019

प्रार्थी :–

1. रमतुराम पुत्र कालू जाति मेघवाल निवासी मिंडकिया तहसील परबतसर

अप्रार्थी :–

1. तहसीलदार परबतसर
2. पटवारी हल्का कुंडरी

वकील प्रार्थी – श्री गजराज चौहान उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

–: निणर्य :–

प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मिण्डकिया की राजस्व सीमा में खसरा नं. 305 रकबा 3.3200 हैक्टर जमीन आई हुई है। जिसके पुराने नम्बर 171 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा जमीन है। जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 में प्रार्थी का सही नाम रमतू पिता कालू अंकित है। नामान्तकरण 93 के द्वारा प्रार्थी के भाई के देहान्त के बाद रमतू पुत्र कालू के नाम खातेदारी दर्ज हुई। सम्वत् 2041–44 में बिना किसी आदेश या निर्णय के प्रार्थी का नाम रमतू पुत्र कालू के स्थान पर रमतूराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल दर्ज हो गया। जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से हो गया। प्रार्थी का नाम रमतूराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल के स्थान पर रमतूराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल की रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। निवेदन किया गया कि ग्राम मिण्डकिया की राजस्व जमीन खसरा नं. 305 में रमतूराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल के स्थान पर रमतूराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल की रेकर्ड दुरूस्ती करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार परबतसर द्वारा जबाब प्रस्तुत किया जो शा.मि किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैराज को स्वीकार किया गया व प्रार्थी का नाम रमतुराम पुत्र कालूराम शुद्ध करना उचित होने से स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में जाहिर किया कि जमाबंदी सम्वत् 2037–40 के पुराने खसरा नं. 171 नये 305 में ना.स. 93 के द्वारा रामकरण के बजाय रमतु पुत्र कालू स्वीकृत किया गया। जिसका जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 में अमल दरामद हो चुका परन्तु जमाबन्दी संवत् 2041–44 में उक्त खातेदारी में रमतूराम पुत्र रामकरण कौम मेघवंशी सा.देह अंकित किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम मिण्डकिया के खसरा स. 305 रकबा 3.3200 हैक्टर मे सम्वत् 2076–79 का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी का नाम रमतूराम पुत्र रामकरण अंकित है जबकि प्रार्थी का सही नाम रमतूराम पुत्र कालूराम होने से सही किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेशित किया जाता है ग्राम मिण्डकिया के खसरा सं. 305 के राजस्व रिकार्ड में रमतूराम पुत्र रामकरण के स्थान पर रमतूराम पुत्र कालूराम अंकित किया जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को सरे.इजलास सुनाया गया।